विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि मूसा द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से खरीदशुदा भूमि तथा बाद में किया गया बैचान पूर्णतः विधिसम्मत है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन अनुसार प्रार्थी मूसा के द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रयशुदा भूमि में अन्य सहखातेदारो का हक साबित नहीं होने तथा मूसा को अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की गई भूमि को पूर्णतया बैचान करने का हक होने से तथा पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं वाद में चाही गई दादरसी इस वाद के प्रकृति पर लागू नहीं होने से प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO सिणधरी

29.08.24

प्रतिवादी वकील द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151–152 सी.पी.सी वास्ते आदेशिका दिनांक 06.08.2024 में दुरूस्तीकरण हेतु पेश करने पर पत्रावली आज तलब की गई।

प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी वकील को सुना गया।

प्रतिवादी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उपरोक्त अनवान वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष को पेश किया जिसकी दादरसी इस वाद के प्रकृति पर लागू नहीं होने से दिनांक 06.08.2024 को खारिज कर दिया गया। जिसके सन्दर्भ में न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका में त्रुटिवश ईशा की जगह मूसा टंकित हो गया। इस प्रकार निर्णय व डिकी पर्चा में लेखन व गणित सम्बन्धी आकस्मिक भूल या त्रुटि सद्भाविक है। जिसे न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पत्र पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकती है। उपरोक्त न्यायालय श्री की आदेशिका में अंकित लेखन त्रुटि सुधारा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.08.2024 में सुधार करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने प्रतिवादी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली का पूर्वावलोकन किया गया। पत्रावली की अतिंम आदेशिका दिनांक 06.08.2024 के [illegible] गई। प्रतिवादी वकील की दलील अनुसार पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा उक्त [illegible] दिनांक 02.08.2024 में इसा के स्थान पर मूसा टंकित हो रखी है, [illegible] त्रुटि होने से उक्त टंकण को दुरूस्त किया जाना यथोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्त[illegible] स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 06.08.2024 में लिपिकीय त्रुटि से टंकित [illegible] मूसा के स्थान पर समग्र इसा पढ़ा जावे तथा उक्त आदेशिका के शेष निर्देश व प्रावधान यथावत रहेगी। पूर्व में यदि कोई निर्णय की प्रतिलिपि जारी की गई है, तो उस निर्णय में भी यह आदेश प्रभावी रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर पुन उसी नम्बर पर दाखिल दफ्तर हो।

SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:02:36 IST
Reason: SelfAttested